मुद्रक - आरता प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

(2)

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय दौसा

गीलिया बनाम अंगद

किस्म मुकदमा T.J. मु० नं० 113/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/2017	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रा० प० अस्थायी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। प्राईमा फैसाई केस सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी गण के पक्ष में साबित होने के कारण प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी गण का प्रा० प० अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 25.11.16 ता फैसलाबाद कनफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 26/11/17 उपखण्ड अधिकारी सिकराय दौसा	

Scanned by CamScanner